न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 50/2018 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2018/00134

1. बलविन्द्र कौर पुत्री दलिप सिंह पत्नी अजायब सिंह जाति जट सिख निवासी मडाहर कलॉ तहसील बरीवाला जिला मुक्तसर, पंजाब।

— अपीलांट

बनाम

1. गुरसेवक सिंह पुत्र चरण सिंह (तथाकथित दत्तक पुत्र प्रताप सिंह) जाति जट सिख निवासी पतरोडा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मनजीत कौर पुत्री दलीप सिंह पत्नी चरण सिंह जाति जट सिख निवासी रामसिंहवाला तहसील पट्टा जिला तरनतारण (पंजाब) हाल मकान सं. 215 गली नं. 6, 33 फुट रोड़ गणेशनगर (रामनगर) मुडियां कलां जिला लुधियाना (पंजाब)।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व/भू.अ. अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

4. प्रितम कौर पत्नी अर्जन सिंह
5. मनेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह
6. परमजीत कौर पुत्री अर्जन सिंह जाति जट सिख निवासीगण मडाहर कलॉ तहसील व जिला मुक्तसर, पंजाब।

उपस्थितः	श्री राजेश बैद	अभिभाषक अपीलांट
	श्री विजय कुमार पारीक	अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1
अनुपस्थितः	श्री धर्मवीर चौधरी	अभिभाषक गौण रेस्पोडेंट सं. 4 ता 6

निर्णय

दिनांक 23.09.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 12.07.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त बीकानेर

1– विवादित भूमि वाके चक 2 पी.एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नंबर 12 पत्थर नंबर 37/58 के किला नंबर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के भाई मृत्तक

प्रताप सिंह पुत्र दलिप सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। स्व. प्रताप सिंह का देहान्त दिनांक 28.11.2016 को हो जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गोदनामा दिनांक 05.05.2011 के आधार पर तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ के समक्ष गोदनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिनांक 13.07.2017 पारित कर उक्त गोदनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। तहसीलदार अनूपगढ़ के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2018 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालयों के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक क्रमशः 13.07.2017 व 12.07.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि वाके चक 2 पी.एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नंबर 12 पत्थर नंबर 37/58 के किला नंबर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के भाई मृत्तक प्रताप सिंह पुत्र दलिप सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। स्व. प्रताप सिंह के जायज व कानूनी वारिसान में अपीलांट, रेस्पोडेन्ट सं. 2 व गौण रेस्पोडेन्ट्स है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जो कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 का पुत्र हैं, ने स्व. प्रताप सिंह की बीमारी व लाचारी का फायदा उठाते हुए उसे धोखे में रखकर एक कूटरचित दस्तावेज गोदनामा दिनांक 05.05.2011 तैयार कर तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष उक्त गोदनामें के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार अनूपगढ़ ने अपीलांट को बिना भौतिक रूप से सूचित किये, केवल अखबार साया के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 के प्रार्थना पत्र को दिनांक 13.07.2017 को स्वीकार कर लिया। वादगत भूमि स्व. प्रताप सिंह की खातेदारी दर्ज भूमि थी। उनकी मृत्यु पश्चात् उनके जायज व कानूनी वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 6 बहिस्सा बराबर है, जो सभी वारिसान के कब्जे काश्त में है। गोदनामा दिनांक 05.05.2011 जिस दिन पंजीबद्ध हुआ, उस दिन स्व. प्रताप सिंह के पिता चरणसिंह जीवित था, जिसकी गोदनामें पर किसी भी प्रकार की सहमति के हस्ताक्षर नहीं है। गोदनामें की सत्यता जांचने का अधिकार सिविल न्यायालय को है तथा सत्य सिद्ध करने का भार भी अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी पहलू पर गौर किये बिना ही निर्णय

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर
संभागीय आयुक्त बीकानेर

दिनांक 13.07.2017 पारित कर दिया। उक्त गोदनामें के निष्पादन के पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपने प्राकृतिक पिता चरण सिंह की पंजाब में स्थित सम्पति में भी बहैसियत प्राकृतिक वारिस के हक प्राप्त किया है जो कि कानूनी रूप से गलत है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ कैम्प अनूपगढ़ के समक्ष उक्त आदेश दिनांक 13.07.2017 के विरूद्ध अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी पूर्ण विवेचना के सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया। अपीलांट ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर के समक्ष उक्त तथाकथित गोदनामा दिनांक 05.05.2011 को अवैद्य घोषित कराने हेतु दावा प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलांट के पक्ष में दिनांक 04.09. 2017 को अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रेस्पो. सं. 1 व 2 के इस आशय की जारी हुई कि वाद के अंतिम निस्तारण तक वादगत भूमि के राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति यथावत रखी जावे। उक्त निषेधाज्ञा के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2018 पारित कर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2017 व 12.07.2018 निरस्त फरमाये जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्राथमिक कानूनी आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.07.2017 को दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष उक्त प्रकरण कन्टेस्टेड था। तहसीलदार अनूपगढ़ का आदेश धारा 135(2) के तहत पारित किया गया था, इसकारण प्रथम अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल थी, किन्तु अपीलांट ने तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष गलत पेश कर दी। अतः कानूनी आपति पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील में सुनवाई न की जाकर अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन तथा उभय पक्ष की बहस मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2018 पारित करते हुए तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 13.07.2017 को विधिसम्मत मानते हुए अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। प्रकरण में खातेदार प्रतापसिंह पुत्र दलीप सिंह द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 गुरसेवक सिंह को पंजीबद्ध गोदनामें से गोद लिया गया है। उक्त गोदनामा फर्जी है अथवा नहीं इस बाबत सिविल न्यायालय ही तय कर सकता है। अपीलांट वादगत गोदनामा की आपत्ति के संबंध में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2018 व तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ का निर्णय दिनांक 13.07.2017 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/9/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर